सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 370/16 **निर्णय दिनांकः– 27.07.2018**

1. हसन खॉ पुत्र सामु खॉ जाति मुसलमान निवासी हाल चक 15 एसएमडी उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. हनीफ खॉ पुत्र रहमत अली जाति मुसलमान निवासी जग्गासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।
3. जन्नत बेवा सामु खॉ
4. गुलाम रसूल पुत्र सामु खॉ
5. गुलाम नबी पुत्र सामु खॉ

जाति मुसलमान निवासी हाल चक 15 एसएमडी उपनिवेशन तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 25–05–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 28–05–2018 जिसके द्वारा अपीलांट् के धारण की भूमि को बतौर स्माल पेच रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 15 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 203/11 के किला नम्बर 17, 18 में 2 बीघा अपीलांट व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट के पिता व पति स्व. सामू खॉ पुत्र उमर खॉ की गैर खातेदारी भूमि है। उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट को भी भलींभांति रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जानबूझ कर तथ्यों को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्माल पेच करवाया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि स्व. सामु खॉ के नाम से ग्राम जग्गासर बारानी के खसरा नम्बर 216 तादादी 33 बीघा 11 बिस्वा स्थित थी जिसके उपनिवेशन विभाग में आने से चक 1 जेएम के मुरब्बा नम्बर 203/11 के किला नम्बर 11 ता 18, 24, 25 में कुल 7 बीघा कमाण्ड व अन्य भूमि मुरब्बा नम्बर 203/12, 203/18, 203/19, 203/20, 203/26 व 203/27 में 27 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा पैमूद हुए। कालान्तर में सीएडी द्वारा उक्त चक 1 जेएम में विलोपित होकर चक 15 एसएमडी पैमूद हुआ। इस प्रकार उक्त तमाम भूमि अपीलांट के पिता स्व. सामु खॉ की पुरानी गैर खातेदारी भूमि थी।

अदालत मातहत द्वार सहवन से वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी गई जो बाद में नामान्तरणकरण संख्या 77 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि चक 15 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 203/11 के किला नम्बर 6 ता 8, 11 ता 13, 17 ता 23 तादादी 11 बीघा दर्ज करते हुए जबकि गणना में 13 बीघा भूमि होती है। इस प्रकार किला नम्बर 17 व 18 अपीलांट के नाम दर्ज ना कर आराजीराज दर्ज कर दी गई। यहीं से राजस्व रिकार्ड संधारण में अमलामाल से गलती हुई है। वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन करवाया लिया गया। जबकि आवंटन की दिनांक को वादगत् भूमि आक्यूपाईड लैण्ड थी, इस प्रकार वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि नहीं थी। वादगत् भूमि के आवंटन के प्रथम पात्र अपीलांट व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को

बिना नोटिस प्रदान किये व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट अपनी उक्त भूमि बाबत् वर्षो से न्यायालय में कार्यवाही जैरकार है। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि आराजी जैर अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है अथवा नहीं? इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है।

उन्होंने आगे बताया कि जब अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के गैर खातेदारी का प्रकरण जैरकार था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 28—05—2018 को किया गया है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उक्त आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की जानी आवश्यक थी। यदि वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की जाती, ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाती। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही पूर्व नियोजित तरीके से की गई है। अपीलांट के उक्त भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष कार्यवाही जैरकार है अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

स्मालपेच आवंटन हेतु आवश्यक है कि आवंटन योग्य भूमि के बारे में सभी चिपते काश्तकारों को विधिवत नोटिस दिया जाना

आवश्यक है परन्तु प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बिना आवंटन प्रक्रिया को अपनाये ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन, आवंटन प्रक्रिया को अपनाते हुए किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व नियमानुसार संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त जेठाराम पुत्र स्वरूपनाथ, आशिक पुत्र रहमत अली व अपीलांट सामु खॉ पुत्र उमर खॉ आदि की वरियता कायम की गई। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु विज्ञापित नहीं होने, जोहड़ पायतान का नहीं होने, अनिवार्य वन पट्टी का नहीं होने व उक्त रकबा चक आबदी व नर्सरी का नहीं होने व विनिमय में प्रस्तावित नहीं होने व मण्डी सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में नहीं आने के आधार पर आवंटन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन हेतु तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार आवंटन से संबंधित तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना–देना नहीं है नाही अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत ही कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार

आवंटन प्रकिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

उन्होनें आगे बताया किया अपीलांट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट द्वारा बिना किसी आधार के गैर खातेदारी होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। इसलिए अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

मियांद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर पेश है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का किसी प्रकार का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटन की दिनांक से ही आदेश जैर अपील की जानकारी प्राप्त थी। इसलिए मियांद के बिन्दु पर अपीलांट द्वारा मिथ्य कथन व्यक्त किये गये है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु व लोकस स्टेण्डाई पर खारिज फरमाई जावे।

लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—05—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20—03—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना बेहतर हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण विधि अनुसार गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी

के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 15 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 203/11 के किला नम्बर 17 व 18 में 2 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 28—05—2008 को बतौर स्माल पेच के तहत किया गया था। जबकि अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है तथा अपीलांट की गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रकरण भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियम विरूद्व जाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तत रिपोर्ट में स्प्ष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि के गैर खातेदारी से 15एएए में खातेदारी हेतु जन्म्म पत्नी सामुखॉ, गुलाम रसूल, गुलानबी, हाकमखॉ पिसरान सामुखॉ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट के नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। अतः जबकि उक्त रकबा आराजीराज हुआ नहीं है। इस प्रकार मामला नियम विरूद्व आवंटन का है क्योंकि रकबा आराजीराज नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया जाकर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

(4) प्रकरण में यह तथ्य पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है कि वादगत् भूमि के बाबत् गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन था तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का कथन कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लोकस स्टेण्डाई पर प्रस्तुत आप्पति खारिज की जाती है।

(5) जहॉ तक वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्माल पेच आवंटन का संबंध है इस संबंध में भी अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूपेण पालना नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार वरियता तो कायम की गई परन्तु अन्य काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी नहीं किये गये है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के स्माल पेच आवंटन से पूर्व विधिवत रूप से वादगत् भूमि के चिपते व अन्य काश्तकारों को विधिवत नोटिस प्रदान करते हुए व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है। जो मामलें को अपने आप में दुषित करता है।

(6) इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादगत् भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था, अदालत मातहत द्वारा स्माल पेच आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए अदालत मातहत द्वारा कार्यवाही की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 28—05—2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पातिर करें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर